

बहावलपुर ज़िला द्वारा दिया गया

नितिन कुमार आत्मज दामोदर प्रसाद चौधरी उम्र करीब 34 साल  
निवासी ग्राम सनखेड़ा तहसील इटारसी ज़िला होशंगाबाद .....आवेदक

विरुद्ध

1664-PBR/14  
श्रीमति राजो बाई उर्फ रजिया बाई उम्र 60 साल विधवा मिश्रीसिंह (मृत) वारसान

1. श्रीमति सुखिया बाई पति विशाल सिंह

निवासी बरेली ज़िला रायसेन

2. श्रीमति छुट्टनबाई पति ललूसिंह

साकिन पचमढ़ी रोड पिपरिया ज़िला होशंगाबाद

3. राजेश उर्फ विजेन्द्र सिंह आत्मज मिश्रीसिंह

4. श्रीमति गोचरीप साकिन शाह बालक उच्चतर मार्ग विधालय के सामने इटारसी ज़िला होशंगाबाद

5. अभिभासक मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद .....उत्तरवादीगण

6. 3.14 के निगरानी याचिका धारा 42 मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत

आवेदक यह निगरानी याचिका श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक

37/निगरानी/2008-09 नितिन चौधरी वि० श्रीमति राजो बाई वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.12.2013 जो कि

अपर कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा राजस्व सीलिंग प्रकरण क्रमांक 13 मद अ/90 व (3) वर्ष 90-91 नितिन कुमार

विरुद्ध शासन में पारित आदेश दिनांक 19.07.06 एवं अनुषिमागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी इटारसी द्वारा

राम्रोक्त 24 मद अ/90 व (3) वर्ष 83-84 शासन विरुद्ध मिश्रीलाल में पारित आदेश दिनांक 22.04.89 से

उत्पन्न हुआ के विरुद्ध असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करता है।



**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**  
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1054—पीबीआर / 14

जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-03-2016	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आयुक्त के आदेश दिनांक 26-2-13 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। म0प्र0 कृषि जोत खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 42 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। आयुक्त द्वारा निगरानी में पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान नहीं है। अतः यह निगरानी विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है।</p> <p></p> <p>(मनोज गोयल)</p> <p>अध्यक्ष</p>	